भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 622

दिनांक 25 जून, 2019 को उत्तरार्थ

जनजातीय लोगों की भागीदारी

622. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार पंचायत में जनजातीय लोगों की समुचित भागीदारी हेतु कोई नीति/कार्यक्रम तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नीति/कार्यक्रम के कब तक क्रियान्वयन होने की संभावना है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग) पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पीईएसए) पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX के पांचवें अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार प्रदान करते हैं। पांचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है जहां जनजातीय समुदाय बहुसंख्यक हैं। पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) की राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना, राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए निधियां उपलब्ध कराती है। वर्ष 2018-19 में दस पीईएसए(पेसा) राज्यों के लिए 19,18,618 पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने हेतु मंजूरी प्रदान की गई। आरजीएसए के तहत, पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पेसा जिला समन्वयक, पेसा ब्लॉक समन्वयक, पेसा संघटक और ग्राम सभा उन्मुखीकरण के लिए पीईएसए (पेसा) राज्यों को विशेष वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। वर्ष 2018-19 में पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों के लिए कुल 65.28 करोड़ रु. की राशि मंजूर की गई।

****